प्रेस विज्ञप्ति

बिहार पुलिस मुख्यालय

दिनांक–18.08.2023 (सं0–380)

पुलिस भवनों के निर्माण/मरम्मति के लिए बजट में वृद्धि

- राज्य सरकार के द्वारा पुलिस की आधारभूत संरचनाओं में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है, इससे आप सभी पूर्व से विदित हैं। आज प्रायः सभी थानों को अच्छे संसाधनों से युक्त भवन, पदाधिकारी/कर्मियों के लिए अच्छे आवास तथा पुलिस संगठन से सम्बन्धित सभी के लिए अच्छे भवनों की व्यवस्था होचुकी है।
- अब इन भवनों के दीर्घकालिक होने तथा उसकी मजबूती बनाये रखने के लिए आवश्यकता है कि उन भवनों की समय समय पर मरम्मति की जाए। विवरणी निम्नवत है:–

वृहद मरम्मति

- इस हेतु सरकार के द्वारा पुलिस भवनों की वृहद मरम्मति के लिए फण्ड का प्रावधान किया गया है। पूर्व से इस हेतु 40 करोड़ बजट की व्यवस्था थी। अनुपूरक बजट के द्वारा अतिरिक्त 120 करोड़ रुपयों का बजट पुलिस संगठन को दिया गया है। इस प्रकार अब यह 160 करोड़ रुपये हो चुका है। यह वृद्धि पिछले बजट की तुलना में चार गुनी है।
- अब प्राप्त होने वाले बजट की उपयोगिता हेतु पुलिस संगठन के भवनों की वृहद मरम्मति हेतु जिलों के साथ पत्राचार किया गया है कि जिले में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता तथा उस भवन के प्रभारी (जिस भवन की मरम्मति करानी है) संयुक्त निरीक्षण कर मुख्यालय को प्रतिवेदन देंगे। अभी यह प्रक्रिया जारी है कुछ स्थानों से निरीक्षण का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है शेष स्थानों से भी शीघ्र हीं प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके उपरान्त मरम्मति करायी जाएगी।

लघु निर्माण/ मरम्मति

- लघु निर्माण/मरम्मति के लिए पुलिस महानिदेशक, बिहार के द्वारा 2.5 लाख रुपये तक खर्च करने की स्वीकृति दी जा सकती है। इस मद में पूर्व से 02 करोड़ का फण्ड था। अब 25 करोड़ बजट की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। पूर्व में 02 करोड़ रुपयों से 70–80 भवनों की मरम्मति करायी जाती थी। अब जब 25 करोड़ रुपये आ जायेंगे तब लगभग 1 हजार भवनों की मरम्मति कराया जाना सम्भव होगा।

साफ सफाई

- भवनों की मरम्मति तथा रख रखाव की व्यवस्था के पश्चात उन भवनों की साफ सफाई की आवश्यकता है ताकि उस भवन में कार्य करने वाले अथवा रहने वाले लोगों को असुविधा न हो तथा उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। साफ सफाई हेतु इस वर्ष लगभग 18 करोड़ रुपये का फण्ड स्वीकृत हुआ है। अनुमति मिलने के उपरान्त इससे व्यय किया जाएगा। व्यय किये जाने हेतु निर्धारित किये गये प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष थाना भवनों की साफ सफाई के लिए 01 लाख रुपये, ओ0पी0 की साफ सफाई के लिए 75 हजार रुपये, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी तथा अंचल निरीक्षक के कार्यालय के लिए 1–1 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अन्य पुलिस कार्यालयों तथा बड़े थानों में स्वच्छता हेतु 15 बड़े जिलों को 10–10 लाख तथा 29 सामान्य जिलों (रेल सहित) 05–05 लाख रुपये उपबन्धित है।

इस प्रकार सभी पुलिस भवनों की मरम्मति एवं साफ सफाई हेतु प्राप्त बजट की राशि से शीघ्र कार्य कराया जा रहा है।

XXXXXX